कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर

Email : panjiyak8ppp@gmail.com

Ph. : 0151-2226570

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/पंविप/5वीं–8वीं/नियन्त्रण कक्ष/2020 दिनांकः12.03.2020

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा(कक्षा 8), 2020 के सफल संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों के सामान्य निर्देश के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयन्तगर्त लेख है की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 के सफल संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों के सम्बन्ध में सामान्य निर्देशः–

1. प्रति परीक्षा दिवस पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने से आधे धण्टे तक प्रवेश की अनुमति रहेगीं।
2. सम्बन्धित डाइट की जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की केवल गोल मोहर का प्रयोग ही उत्तर पुस्तिकाओं पर किया जाना है।
3. यदि किसी परीक्षार्थी हेतु श्रृतिलेखक का सहयोग लिया जा रहा है तो उस श्रृतिलेखक का अकादमिक स्तर कक्षा 7 से उच्च नही होना चाहिए।
4. सामान्यतः परीक्षार्थियों को पूरक उत्तर पुस्तिकाएं देने का प्रावधान नही है। किन्तु यदि परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक एवं केन्द्राधीक्षक इस हेतु संतुष्ट हो जाए की परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका की वास्तव में आवश्यकता है तो परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका दे कर दोनों उत्तर पुस्तिकाओं पर दी गई उत्तरपुस्तिका का विवरण लिख कर दोनो उ.पु. को आपस में नत्थी किया जाना सुनिश्चित किया जावें। पूरक उत्तर पुस्तिका 16 पृष्ठों की उ.पु. के रूप में एकमेव ही दी जानी है उसके पृष्ठ अलग कर के नही देनी है। परीक्षार्थी को दी गई पूरक उ.पू. की सूचना मूल्यांकनकर्त्ता को भी बण्डल के साथ में दी जानी अनिवार्य है।

(शिव प्रसाद)
पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर

Scanned with CamScanner